न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना जिला-झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी	-	**श्री शारिक हुसैन, आर०जे०एस०**
फौ०नि०प्रकरण संख्या	-	**254/2019,**
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०	-	**75/2019,**
पुलिस थाना	-	**मनोहरथाना**
सी.एन.आर. नम्बर	-	RJJW180003612019

सरकार

अभियोगी...

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र हजारीलाल उम्र 33 वर्ष,
2. गुलाबचन्द पुत्र घीसालाल उम्र 46 वर्ष,
निवासीगण टोडरीमीरा पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज०)

अभियुक्तगण...

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः-

1- अभियोजन अधिकारी राज्य सरकार की ओर से।

2- श्री फिरोज खान, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक- 13.03.2026**

घटना की दिनांक	05.03.2019
प्रथम सूचना की दिनांक	05.03.2019
अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने की दिनांक	16.05.2019
आरोप विरचन की दिनांक	16.05.2019
साक्ष्य आरंभ होने की दिनांक	16.05.2019
निर्णय की दिनांक	13.03.2026
निर्णय	दोषसिद्ध

01. थानाधिकारी पुलिस थाना मनोहरथाना की ओर से जर्ये अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्तगण रामकल्याण व गुलाबचन्द के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16.05.2019 को पेश किया गया।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.03.2019 को परिवादी/मजरूब मदनलाल ने दौराने ईलाज जनरल वार्ड सीएचसी मनोहरथाना में पर्चा बयान इस आशय का दिया कि वह गांव में मेट का काम करता है। उसकी लेबर तलाई पर काम कर रही थी। वह उसके निजी काम से मनोहरथाना आया था जब वह मनोहरथाना से वापस उसके गांव टोडरीमीरा पहुंचा तो करीब 2 पी.एम. के लगभग कल्याण की पत्नी नाम नामालूम रास्ते में मिली। उसने उससे कहा अभी लेबर की छुट्टी नहीं हुई है तू अभी से यहां क्यों आई। इतना कहकर वह उसके घर की तरफ जा रहा था कि उसे जाते हुये को उसके गांव के कल्याण, गुलाबचन्द ने रोक लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे एवं जितेन्द्र भी आ गया और तीनो ने उसे उसके घर के सामने से पकड कर और राजाराम लोधा के घर के बरामदे में ले गये वहां कल्याण ने हाथ में ले रखी फरसी की उसके सिर में उल्टी मनीआल की मारी, जिससे खून निकल आया। जितेन्द्र ने लकड़ी की सिर में बीच में मारी, जिससे खुन निकल आया और वह गिर पड़ा। उसके गिरे हुये के गुलाबचन्द ने लकडी की उसके बांये हाथ की भूजा में दी जिससे उसके हाथ में चोट आई है। उसी समय गुलाबचन्द की पत्नी भी आ गई जिसने भी उसके बायें हाथ की कलाई पर व बांये पेर पर उसके पास की लकडी की मारी। उसे वहीं पडा छोडकर यह सगी उसकी मोटरसाईकिल व उसके मकान को तोडने की कहकर वहा से चले गये, इत्यादि।

03. उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना, मनोहरथाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 75/2019, अन्तर्गत धारा 143, 341, 323, भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण रामकल्याण व गुलाबचन्द के विरूद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 341, 323, 325/34 भा.दं.सं. में पेश न्यायालय किया गया। जिसपर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध के आरोपों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. बहस चार्ज सुनी तथा अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्तगण द्वारा इन्कार कर अन्वीक्षा चाही गई।

05. अभियोजन की ओर से साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है-

अभियोजन साक्षी क्रमांक	**साक्ष्य की प्रकृति**
01. श्रीलाल	चश्मदीद साक्षी

02. डॉ. धनराज	चिकित्सकीय साक्षी
03. मदनलाल	पर्चा बयान दर्ज करवाना/आहत
04. रामलाल	नक्शामौका
05. जसवंत सिंह	अनुसंधान साक्षी
06. घनश्याम	अनुसंधान साक्षी
07. हुकमचंद	अनुसंधान साक्षी
08. यदुवीर सिंह	अनुसंधान अधिकारी

तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया-

प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेजात का विवरण	साबित करने वाले साक्षी
प्रदर्श पी01	नक्शामौका	साक्षी क्रमांक 1,3,4,8
प्रदर्श पी01	चोट प्रतिवेदन मदनलाल	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी02	पर्चा बयान	साक्षी क्रमांक 3,8
प्रदर्श पी02	एक्सरे प्लेट	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी03	एक्सरे प्लेट	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी04	एक्सरे प्लेट	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी05	एक्सरे कवर नोट	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी06	गवाह घनश्याम के बयान धारा 161 द.प्र.सं.	साक्षी क्रमांक 6
प्रदर्श पी07	गवाह हुकमचंद के बयान धारा 161 द.प्र.सं.	साक्षी क्रमांक 7
प्रदर्श पी08	चाक एफआईआर	साक्षी क्रमांक 8

06. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्तगण को धारा 313 द.प्र.स. के तहत परीक्षित किया गया, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा तथा स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित किया।

07. बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

08. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी के द्वारा जाहिर किया गया कि प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण के विरूद्ध

आरोपित आरोप संदेह से परे प्रमाणित हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाए।

09. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। किसी भी गवाह के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अतः संदेह का लाभ दिया जाकर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारणार्थ मुख्य रूप से अवधारणीय बिन्दु यह है किः-

''1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 05.03.2019 को दोपहर 2 बजे के लगभग, मौजा/स्थान टोडरीमीरा पुलिस थाना मनोहरथाना में सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी मदनलाल को स्वेच्छया जाते हुए को रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया व परिवादी/मजरूब मदनलाल के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर उसे स्वेच्छापूर्वक साधारण उपहतियां कारित की एवं उसकी दांयी रेडियस अस्थि व बांयी अलना अस्थि का अस्थिभंग कर स्वेच्छापूर्वक गंभीर उपहतियां कारित की?

2. यदि हां, तो अभियुक्तगण को दण्ड की किस मात्रा से दण्डित किया जाए?''

11. आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को उसकी कहानी अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध एवं प्रमाणित करना होता है। उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 08 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है। जिनमे से गवाह संख्या पी.ड.03 मदनलाल प्रकरण/आहत का परिवादी है तथा गवाहन पी.ड.01 श्रीलाल प्रकरण का चश्मदीद गवाह है।

12. गवाह पी.ड.03 मदनलाल ने उसके न्यायालय में लेखबद्ध किये गये बयानों में बताया कि गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग 3 साल पहले दिन के लगभग 1-2 बजे की बात है। वह मस्ट्रोल में जा रहा था, वहां पर वह मेट था। रास्ते में रामकल्याण की पत्नी मंजूबाई से उसने कहा कि काम पर इतनी लेट क्यों जा रही है। इसी बात को लेकर उसके साथ आड़े फिरकर रोककर कल्याण, गुलाबचंद, उसके लड़के व बहनों ने लात-घुसों से व फलसियों से मारपीट की। मारपीट राजाराम लोधा के मकान

में की थी। मारपीट से उसके सिर में व हाथ-पैरों पर चोटें आई। फिर उसे परिवार वाले अस्पताल लेकर गए थे, जहां पुलिस आ गई थी जिन्होंने उसके पर्चा बयान लिए थे जो प्रदर्श पी 02 है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्रदर्श पी 01 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी चोटों का मेडिकल व एक्सरे हुआ था जो पत्रावली में संलग्न है। मारपीट से उसका बांया हाथ टूट गया था। दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट घटना के दिन ही करा दी थी। घटना के वक्त रामलाल व शिवलाल मौजूद थे। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर पत्थर नहीं पडे थे।

13. गवाह पी.ड.01 श्रीलाल ने उसके बयानों में बताया है कि वह मदनलाल को जानता है, जो उसके गांव का है। गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग 3 साल पहले दोपहर के 1 बजे के लगभग की बात है। मदनलाल मस्ट्रोल में जा रहा था। रास्ते में कल्याण की पत्नी मंजू बाई से मदनलाल ने कहा कि काम पर से जल्दी क्यों आ गई। इसी बात को लेकर मदनलाल के साथ आडे फिरकर रोककर कल्याण, गुलाबचंद ने लात, घुंसों से मारपीट की। मारपीट राजाराम लोधा के मकान में की थी। मारपीट से मदनलाल के सिर, हाथ पैरों में चोटें आई थी। उसने दूर से घटना देखी थी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी01 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि किसने कहा चोट मारी, उसने नहीं देखा। मुलजिमान ने भी मदनलाल के खिलाफ क्रोस केस दर्ज करवाया था। मारपीट लगभग दो घंटे तक चली थी।

14. गवाह पी.ड.04 रामलाल ने उसके बयानों में बताया है कि वह मदनलाल को जानता है, जो उसके गांव का है। आज से लगभग तीन साल पहले उसके साथ हुई मारपीट का पुलिस ने नक्शामौका प्रदर्श पी01 बनाया था, जिस पर उसकी अंगुठा निशानी है।

15. गवाहन पी.ड.06 घनश्याम व पी.ड.07 हुकमचंद ने उनके बयानों में बताया है कि वे मदनलाल को जानता हैं, जो उनके गांव का है। गवाहों के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग 3 साढ़े 3 साल दिन के ढाई बजे के करीब वे उनके खेत से घर जा रहे थे। मदनलाल व कल्याण के मकान के बीच गली में मदनलाल व दूसरी तरफ से गुलाबचंद व कल्याण आपस में गाली-गलौच कर रहे थे। उन्होने किसी को मारपीट करते हुए नहीं देखा और ना ही कोई चोट लगी हुई देखी। राजाराम के मकान के क्या घटना हुई, यह उन्हे पता नहीं। उक्त दोनों गवाहों को अभियोजन कहान का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी उक्त गवाहों ने इस सुझाव

को गलत बताया कि उनके सामने मदनलाल ने कल्याण की पत्नी मंजूबाई को नरेगा से जल्दी लाने के लिए रोका हो, इस बात पर कल्याण और गुलाबचंद दोनों मदनलाल के साथ रास्ते में व राजाराम के मकान पर फलसी व लकडी से मारपीट की हो। गवाहों ने अपने अपने पुलिस बयान पुलिस को लिखाये जाने से इंकार किया है।

16. गवाह पी.ड.05 जसवंत सिंह ने उसके बयानों में बताया है कि वह ग्राम पंचायत टोडरी मीरा में सहायक सचिव के पद पर सन् 2011 से कार्यरत था। ग्राम पंचायत टोडरी मीरा में नरेगा का काम चल रहा था, जिसमें 01.03.2019 से 15.03.2019 तक मस्ट्रोल विकास अधिकारी कार्यालय मनोहरथाना से जारी हुई थी जिसमें मेट का कार्य रोडूलाल कर रहा था। मदनलाल इस कार्य पर मेट नहीं था।

17. गवाह पी.ड.02 डॉ. धनराज ने उसके बयानों में बताया है कि दिनांक 05.03.2020 को एमओ सीएचसी मनोहरथाना के पद पर कार्यरत था। उस दिन एसएचओ मनोहरथाना के प्रतिवेदन पर मदनलाल के शरीर पर आयी निम्न चोटों का परीक्षण किया था। चोट संख्या- कुचला हुआ घाव सिर में बायीं तरफ। चोट संख्या-2 कुचला हुआ घाव सिर में दायीं तरफ। चोट संख्या-3 निलगु बायीं भुजा पर। चोट संख्या-4 निलगु हांए कंधे पर। चोट संख्या-5 निलगु बायीं कोहनी के पास अग्र भुजा पर। चोट संख्या 6 निलगु दाँयी कलाई पर। सभी चोटें कुंद हथियार से कारित थी। चोट संख्या 1, 2, 3 साधारण प्रकृति की थी, जबकि चोट नम्बर 4, 5, 6 के लिए एक्सरे की सलाह दी थी, जो बाद एक्सरे चोट संख्या 5 व 6 गंभीर प्रकृति तथा चोट संख्या 4 साधारण प्रकृति की होना पायी गयी। चोटो की अवधी 24 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-01 है। एक्स रे प्लेट प्रदर्श 2, 3, 4 हैं तथा एक्सर कवर नोट प्रदर्श पी-05 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया है कि सभी चोटें लुढकते हुए गिरने पडने से आना संभव है।

18. गवाह पी.ड.08 यदुवीर सिंह जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, ने उसके बयानों में बताया है कि दिनांक 05.03.2019 को पुलिस थाना मनोहरथाना पर हैड कॉनि के पद पर कार्यरत होकर इनचार्ज थाना था। उस दिन हस्तगत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। पर्चा बयान पी० 02 है। चॉक एफआईआर प्रदर्श पी० 08 है। दौराने अनुसंधान गवाहान मदनलाल, मांगीलाल, गुलाबचंद, हुकुमचंद, जसवंतसिंह के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये। घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी० 01 है। आहत मदनलाल का चोट प्रतिवेदन, एक्स-रे प्राप्त कर संलग्न किया। मदनलाल की चोटे गंभीर होने से धारा 325 भादस जोडी गयी। सम्पूर्ण

अनुसंधान से अभियुक्तगण रामकल्याण व गुलाबचंद के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 34 भादस का अपराध प्रमाणित पाये जाने से पत्रावली एसएचओ धनराज मीणा को पेश की जिन्होंने आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। दौराने जिरह उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि अनुसंधान के दौरान मुलजिमान द्वारा भी परिवादी पक्ष के विरूद्ध क्रोस केस दर्ज कराया हो। उक्त गवाह ने इस सुझाव को भी गलत बताया कि अनुसंधान के दौरान मदनलाल ने रामकल्याण की पत्नी के साथ छेडछाड की, जिस कारण मारपीट हुई हो। गवाह ने स्वीकार किया है कि घटना में प्रयुक्त हथियार को उसके द्वारा जप्त नहीं किया गया था।

19. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रदर्शित करवाये गये समस्त चश्मदीद गवाहन व आहत ने उनके बयानों में अभियोजन कहानी की पुष्टि की है तथा जिरह में सुदृढ़ रहे हैं। जिससे उनकी विश्वसनीयता पर न्यायालय को कोई संदेह नहीं है। आहत/गवाह/परिवादी पी.ड.03 मदनलाल ने उसके बयानों में अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ लात, घुसो व फलसियों से मारपीट करने के संबंध में स्पष्ट रूप से कथन किये हैं तथा आहत मदनलाल के शरीर पर अस्थिभंग कारित करने के संबंध में भी स्पष्ट रूप से कथन किये हैं। प्रकरण के अन्य चश्मदीद गवाह पी.ड.01 श्रीलाल ने भी उसके बयानों में आहत के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं। हालांकि प्रकरण के अन्य दोनों चश्मदीद गवाह पी.ड.06 घनश्याम व पी.ड.07 हुकमचंद पक्षद्रोही रहे हैं, लेकिन उक्त दोनों गवाहों घनश्याम व हुकमचंद ने उनके बयानों में आहत के साथ अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौच करने की हद तक स्पष्ट कथन किये हैं। मारपीट से परिवादी/आहत के शरीर पर आई चोटों की पुष्टि गवाह पी.ड.02 डॉक्टर धनराज के बयानों तथा उनके द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजात से भी होती है। अनुसंधान अधिकारी/गवाह पी.ड.08 यदुवीर सिंह ने भी बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित माना है। पत्रावली पर दोनों पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश होने से यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

20. अतः अभियोजन पक्ष प्रकरण को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 05.03.2019 को दोपहर 2 बजे के लगभग, मौजा/स्थान टोडरीमीरा पुलिस थाना मनोहरथाना में सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी मदनलाल को स्वेच्छया जाते हुए को रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया व परिवादी/मजरूब मदनलाल के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर उसे स्वेच्छापूर्वक साधारण उपहतियां कारित की एवं उसकी दांयी रेडियस अस्थि

व बांयी अलना अस्थि का अस्थिभंग कर स्वेच्छापूर्वक गंभीर उपहतियां कारित की। अतः अभियुक्तगण रामकल्याण व गुलाबचन्द को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भां०दं०स० में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--आदेश--

21. अतः अभियुक्तगण 1. रामकल्याण पुत्र हजारीलाल उम्र 33 वर्ष एवं 2. गुलाबचन्द पुत्र घीसालाल उम्र 46 वर्ष, निवासीगण टोडरीमीरा पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज०) को आरोपित अपराध धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(शारिक हुसैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मनोहरथाना जिला-झालावाड़ (राज.)

22. सजा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के गरीब व्यक्ति हैं। अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण ने इस आशय का शपथ पत्र पेश किया कि पूर्व में उन्हे माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है। अभियुक्तगण लम्बे समय से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान का लाभ दिया जाए। अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध किया।

23. उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। पूर्व की दोषसिद्ध साबित नहीं है और उक्त आशय का शपथ पत्र भी पेश है। अभियुक्तगण वर्ष 2018 से प्रकरण अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। हस्तगत प्रकरण मृत्यु या आजीवन कारावास से भी दण्डनीय नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-दण्डादेश-

24. अतः अभियुक्तगण 1. रामकल्याण पुत्र हजारीलाल उम्र 33 वर्ष एवं 2. गुलाबचन्द पुत्र घीसालाल उम्र 46 वर्ष, निवासीगण टोडरीमीरा पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज०) को धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्धि के लिए परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत आदेशित किया जाता है कि वह अधोलिखित शर्तों के अधीन 10,000-10,000/-रूपये का बंध पत्र एवं इसी

कदर राशि का जमानतनामा न्यायालय की संतुष्टिनुसार प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हे सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावेः-

1 अभियुक्तगण एक वर्ष की अवधि तक शांति एवं सदाचरण बनाये रखेगें तथा उक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगे।

2. न्यायालय द्वारा जब भी तलब करने पर न्यायालय में उपस्थित आयेंगे तथा आदेशित दण्डादेश प्राप्त करेगे।

25. साथ ही परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5(1)(बी) के तहत प्रत्येक अभियुक्तगण पर 600-600/-रूपये कुल 1200/-रूपये (अक्षरे एक हजार दो सौ रूपये) अभियोजन व्यय के आरोपित किये जाते है, जो राशि न्यायालय में जमा कराई जावे। अभियुक्तगण द्वारा धारा 437-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों की पालना में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा 10,000-10,000/-रूपये की राशि की जमानत एवं इसी कदर राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे जो छः माह की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(शारिक हुसैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज०)

26. निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित, मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(शारिक हुसैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज०)

प्रमाण पत्र

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

MOHAN SONI

Steno Gr. II "Authenticate document" Digitally signed by MOHAN SONI Date: 2026.03.17 10:10:37 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।